

कार्यालय मुख्य अभियंता, वि/यों, जल संसाधन विभाग,  
बोध सुरक्षा भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष - 0755-2552913, फ़ैक्स नं.0755-2574417, email ID-cewrebho@mp.nic.in

पत्र क्रमांक: 113/स्था-2/मु0अ0/वि0यों0/2016/2927 भोपाल, दिनांक: 30/09/19  
//कार्यालयीन आदेश//

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3322851/2016/1596 भोपाल दिनांक 13/09/2019 द्वारा प्रतिक्षा सूची के सरल क्रमांक 02 पर अंकित श्री लक्ष्मन दास साहू आत्मज श्री प्रागीलाल साहू को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर उपयंत्री (वि/यों) के पद पर वेतन बैंड रु. 9300-34800+ग्रेड-पे 3200/- पर अस्थायी रूप नियुक्ति प्रदान की गई है।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश क्रं. 3322851/2016/1664 भोपाल दिनांक 25/09/2019 के परिपालन में नवनियुक्त श्री लक्ष्मन दास साहू आत्मज श्री प्रागीलाल साहू, उपयंत्री, वि/यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये कार्यालय (कालम 04) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

स. क्र.	नवनियुक्त उपयंत्री का नाम	जाति	पदस्थीकरण कार्यालय का नाम	संभागीय कार्यालय का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री लक्ष्मन दास साहू आत्मज श्री प्रागीलाल साहू	अ.पि.वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी लाईट मशीनरी एवं वि/यों, उपसंभाग मडीखेड़ा जिला शिवपुरी (म.प्र.)	कार्यपालन यंत्री, लाईट मशीनरी एवं वि/यों, संभाग जल संसाधन विभाग दतिया (म.प्र.)	-

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- (01) उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थियों की वरिष्ठता पदक्रम सूची में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा मुख्य सूची में चयनित अंतिम क्रम के अभ्यर्थियों के नाम के पश्चात् रहेगी।
- (02) मध्यप्रदेश शासकीय सेवा अस्थाई/अर्द्धस्थाई सेवा नियम 1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया के भांति वसूली योग्य होगी।
- (03) अभ्यर्थी को परीवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी।
- (04) उक्त अभ्यर्थी की परीवीक्षा अवधि स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जल संसाधन सेवा (अरा.) भर्ती नियम 1969 के अध्वधीन होंगे।
- (05) शपथ पत्र में दी गई जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन में असत्य पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (06) आरक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र जांच करने पर यदि असत्य पाये जाते हैं तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
- (07) इन नियुक्ति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु.जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धार 6(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है।
- (08) संबंधित नवनियुक्त उपयंत्री वि/यों, को दिनांक 15/10/2019 तक पदस्थीकरण उपसंभागीय कार्यालय में उपस्थिति सूचना देना होगा।

*(Handwritten Signature)*  
28/9/19  
(नारायण वरवडे)

मुख्य अभियंता, वि/यों,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पत्र क्रमांक: 113/स्था-2/मु0अ0/वि0यॉ0/2016/28  
प्रातिलिपि,

भोपाल, दिनांक: 30/09/19

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, वि./यॉ. मण्डल, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर।
6. कार्यपालन यंत्री लाईट मशीनरी एवं वि/यॉ संभाग जल संसाधन विभाग दतिया की ओर लेख है कि नवनियुक्त उपयंत्री वि/यॉ, के अभिलेख / उपस्थिति पत्रक आदि आवश्यक दस्तावेज प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल से प्राप्त कर, सेवा अभिलेखों के आधार पर सेव पुस्तिका का संधारण संभागीय कार्यालय में किया जावे। अभिलेखों के अनुसार संबंधित नव नियुक्त उपयंत्री का चरित्र सत्यापन( पुलिस फेरिफिकेशन) तथा आरक्षित वर्ग के उपयंत्री के जाति प्रमाण पत्र की जारीकर्ता कार्यालय से सत्यापन करावे।
7. अनुविभागीय अधिकारी , लाईट मशीनरी एवं वि/यॉ उपसंभाग मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी (म.प्र.)।
8. संबंधित श्री श्री लक्ष्मन दास साहू आत्मज श्री प्रागीलाल साहू गलान रोड, हरपालपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) पिन कोड - 471111
9. बेव मेनेजर परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल ।

*Ram*  
26/11/19  
(नारायण वरवडे)

मुख्य अभियंता, वि/यॉ,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल